

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं0-17/विविध-01-27/2025

पटना, दिनांक:- / /2025

राज्य के चिकित्सा संस्थान में कार्यरत निम्नांकित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक को कॉलम-06 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

| क्र०सं० | नाम         | जन्म तिथि   | नियुक्ति पत्रांक<br>एवं दिनांक | पदस्थापन संस्थान | अनापत्ति का प्रायोजन                                                                    |
|---------|-------------|-------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 02          | 03          | 04                             | 05               | 06                                                                                      |
| 01      | ASHA KUMARI | Dec 20 1988 | 595(17)<br>05 06.2025          | SH, BEGUSARAI    | BTSC, Patna द्वारा प्रकाशित SMO<br>के पद पर नियुक्ति / साक्षातकार में<br>भाग लेने हेतु। |

2. बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सक को यह अनापत्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा पूरी करेंगे।
3. उक्त आदेश में यदि भविष्य में नियम के आलोक में कोई विसंगति का मामला संज्ञान में आता है, तो तदनुसार निर्गत आदेश को सशोधित करते हुए अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/विविध-01-27/2025 - 665(17) पटना, दिनांक:- 23/06/2025

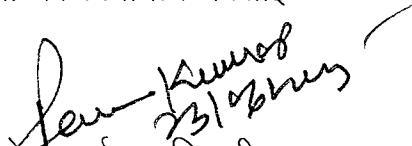
प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।  
H